न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी श्री राम यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
[illegible]/2019	[illegible]-2019	

उनवान

01. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री [illegible] जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

02. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री [illegible] जाति गुर्जर निवासी ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला अलवर (राजस्थान)

——: वादीगण

(ब नाम)

01. सीताराम

02. [illegible] पुत्रान श्री निहाल सिंह जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

03. राज्य सरकार जरिये मैनेजर, भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर (राज0)

——: प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय उन्द्राज दुरुस्ती व हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

मुकदमा के वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा इस्तकरारहक मय उन्द्राज दुरुस्ती व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 481/373 रकबा 0.31 है0 में से 1/8 भाग वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 481/373 रकबा 0.31 है0 में से 1/8 भाग जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने आराजी खसरा नम्बर 481/373 रकबा 0.31 है0 में से 1/8 भाग का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.11.2018 को मिन वादीगण से मार्केटमूल्य प्राप्त कर, बाकब्जा बेचान कर दिया। जिसका बयनामा दिनांक 22.11.2018 को उपपंजीयक महोदय, भिवाड़ी के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 548 में पृष्ठ संख्या 14 क्रम संख्या 201803111800[illegible] पर पंजीबद्ध कराया है। उक्त खरीद से ही मिन वादीगण उक्त खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 481/373 रकबा 0.31 है0 में से 1/8 भाग वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है और मौके पर मिन वादीगण का अपनी खरीदशुदा भूमि पर वास्तविक कब्जा है। मिन वादीगण ने उक्त बयनामा की प्रति हल्का पटवारी को दे दी और हल्का पटवारी ने बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज व स्वीकार करने का आश्वासन दिया। मिन वादीगण जरिये रजि. बयनामा उक्त वर्णित भूमि के

खरीददार है। मिन वादीगण वर्णित आराजी का सदभावी केता (बोनाफाईड परचेजर विद वैल्यु विद कन्सीड्रेशन) है और आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है। मिन वादीगण जो कि भोली भाली, घरेलु ग्रामीण महिला है, जिन्हें कानून कायदें की कतई जानकारी नहीं है और मिन वादीगण ने यह सोचा कि उक्त खरीदशुदा आराजी का इंतकाल मिन वादीगण के पक्ष में दर्ज व स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन आ गया होगा। मिन वादीगण अपनी खरीदशुदा आराजी पर वक्त खरीद से काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है। उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम का अंकन बदस्तूर रहा। राजस्व कर्मचारियों को मिन वादीगण के बयनामा के अनुसार मिन वादीगण के हक में इंतकाल दर्ज व स्वीकार करना चाहिये तथा लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों को गुमराह कर बयनामा के तथ्यों को छुपाते हुये विधि विरूद्व तरीके से अपने नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराये रखा। जबकि बाद बेचान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का वर्णित आराजी में कोई हक हकूक निहित नहीं है। मिन वादीगण पंजीकृत बयनामा के अनुसार व काबिज व दाखिल होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अंकन वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे वादीगण इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर वर्णित आराजी खसरा नम्बर 451/879 रकबा 0.51 है0 में से 1/8 भाग वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अंकन को हजफ (कमलजन) कराकर ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण ने वाद के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये। इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत की तथा वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील वादीगण पर मनन किया। आराजी खसरा नम्बर 451/879 रकबा 0.51 है0 में से 1/8 भाग वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कय किया गया है। इसलिए वादीगण को वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 451/879 रकबा 0.51 है0 में से 1/8 भाग वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि बयनामा के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

19/11/20

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
346/2019	09-10-2019	19/11/20

उनवान

01. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री चन्द्रशेखर जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
02. श्रीमती सुनेरी देवी पत्नी श्री मदनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कासीमपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: वादीगण

(ब ना म)

01. शीशराम
02. शेरसिंह पुत्रान श्री निहाल सिंह जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
03. राज्य सरकार जरिये पैरोकार, भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती व हुक्मदम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिक्री ::-

आराजी खसरा नम्बर 451/879 रकबा 0.51 है0 में से 1/8 भाग वाके ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि बयनामा के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।

19/11/20

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)